...यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

[illegible] – 90/2024

[illegible] :–

1. शिवकुमार पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा

वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
2. पुष्पा पुत्री कालूराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
3. सन्तोष पुत्री कालूराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री सतबीर पूनियां वादी
श्री मांगेराम हुड्डा प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक करणपुरा बारानी के खाता सं0 105/90 के खसरा सं0 775/262 की 1.9448है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कालूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जबाब पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.19 09:31:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्यवादी में वादी शिवकुमार द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वर्तमान जमाबंदी वाद भूमि प्रदर्श 1 पैतृक नामान्तरण प्रदर्श 2 वर्तमान जमाबंदी खाता सं0 273/65 प्रदर्श 3 शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक करणपुरा बारानी के खाता सं0 105/90 के खसरा सं0 775/262 की 1.948है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कालूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2 से उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 01 कालूरान के नाम राजस्व रिकार्ड में उक्त वाद भूमि के अलावा चक 3 केआरपी के खाता सं0 273/65 की 4.9330है0 कृषि भूमि दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने वाद भूमि से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रदर्श 4 के मुताबिक प्रतिवादी सं0 1 कालूराम के अन्य वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक करणपुरा बारानी के खाता सं0 105/90 के खसरा सं0 775/262 की 1.948है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कालूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 कालूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी शिवकुमार अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा को निर्णय का भाग पढ़ा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्ति के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-06-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.19 09:31:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 30/2024

अनवान : –

1. शिवकुमार पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
2. पुष्पा पुत्री कालूराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
3. सन्तोष पुत्री कालूराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सतवीर पूनियां व वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम हुड्डा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक करणपुरा बारानी के खाता सं0 105/90 के खसरा सं0 775/262 की 1.948है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कालूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 कालूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी शिवकुमार अकेले को खातेदार काश्तकार [illegible] किया जाता है। वाद भूमि के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के नाम चक 3 केआरपी खाता सं0 [illegible] 273/65 की 4.9930है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 कालूराम के नाम यथावत् रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि [illegible] रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल [illegible] किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना [illegible]

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-06-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(ओ.पी. चन्देलिया) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

11-06-24

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.19 09:31:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner